

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) व तत्कालीन बने राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9(3) के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट से आदेश जारी कराने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप (पाई पेपर पर नोटेरी से सत्यापित करावें)

**(एक वर्ष बाद जन्म की सूचना देने पर)
शपथ पत्र (जन्म)**

शपथ
ग्रहता / ग्रहिता
की हस्ताक्षरयुक्त
नोटेरी प्रमाणित
पासपोर्ट साईंज
फोटो

मैं(आवेदक का नाम).....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....
.....वर्तमान आयु.....वर्ष निवासी (वर्तमान पूर्ण पता).....
(लड़का / लड़की से सम्बन्ध लिखे).....शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि:-

1. यह कि श्रीमती (माता का नाम).....ने एक जीवित लड़का / लड़की जिसका नाम.....लिंग.....जन्म तिथि.....जन्म स्थान का पूर्ण पता.....जन्म स्थान का वार्ड नं.....पिता का नाम.....बच्चे के जन्म के समय माता / पिता का पतामाता / पिता का स्थाई पता.....को.....शहर / गाँव में जन्म दिया है।
2. यह कि लड़का / लड़की के आवश्यकतानुसार नाम व जन्म दिनांक के दस्तावेज और माता-पिता व मेरे नाम व पते के दस्तावेज संलग्न कर रहा / रही हूँ।
3. यह कि शपथ पत्र पर मेरी वर्तमान फोटो चस्पा कर दी गई है।
4. इस बच्चे का जन्म अस्पताल में नहीं हुआ था मेरे घर पर ही हुआ था।
5. यह कि उक्त जन्म का पंजीयन आज दिनांक.....से पहले किसी के भी द्वारा एवं मैंने कहीं भी किसी भी रजिस्ट्रार / उपरजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं करवाया है और जन्म का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है ना ही भविष्य में कहीं दर्ज करवाऊँगा / करवाऊँगी।

अंगूठा निशान / हस्ताक्षर शपथ ग्रहता / ग्रहिता
सत्यापन

मैं उपरोक्त.....शपथ ग्रहता / ग्रहिता सत्यापित करता / करती हूँ कि शपथ पत्र में अंकित सभी तथ्य सही व सत्य हैं। मेरे द्वारा दिये गये शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा / रहूँगी। ईश्वर साक्षी है।

अंगूठा निशान / हस्ताक्षर शपथ ग्रहता / ग्रहिता
आदेश पत्र

उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विवरण एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त हल्कनामा मे समक्ष लिया गया है। जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) एवं राजस्थान जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9(3) के अन्तर्गत घटना की शुद्धता का सत्यापन कर स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु को यह आदेशित किया जाता है कि उक्त जन्म के विहित विलम्ब शुल्क रूपये 1/- लेकर रजिस्ट्रार / उप रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज कर लिया जावें।

मेरे हस्ताक्षर व मोहर से आज दिनांक.....को जारी किया गया।

हस्ताक्षर कार्यपालक मजिस्ट्रेट मय मोहर